



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-26062021-227920
CG-DL-W-26062021-227920

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 21] नई दिल्ली, जून 13—जून 19, 2021 शनिवार/ ज्येष्ठ 23—ज्येष्ठ 29, 1943
No. 21] NEW DELHI, JUNE 13—JUNE 19, 2021, SATURDAY/ JYAISTHA 23—JYAISTHA 29, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय**(वित्तीय सेवाएं विभाग)**

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2021

का.आ. 357—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री बी. पी. विजयेन्द्र के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक, श्री के. पी. पटनायक (जन्म तिथि: 18.4.1965) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, पंजाब एंड सिंध बैंक के बोर्ड में निदेशक नामित करती है।

[फा. सं. 6/3/2011-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Financial Services)**

New Delhi, the 13th April, 2021

S.O.357.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Central Government hereby nominates Shri K. P. Patnaik (date of birth: 18.4.1965), Regional Director, Reserve Bank of India as director on the Board of Punjab and Sind Bank with immediate effect and until further orders, *vice* Shri B. P. Vijayendra.

[F. No. 6/3/2011-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2021

का.आ. 358.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री अजय कुमार के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक की सेवानिवृत्त कार्यपालक निदेशक, सुश्री पार्वती वी. सुंदरम (जन्म तिथि: 24.11.1959) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, बैंक आफ बड़ौदा के बोर्ड में निदेशक नामित करती है।

[फा. सं. 6/3/2011-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 13th April, 2021

S.O. 358.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby nominates Ms. Parvathy V. Sundaram (date of birth: 24.11.1959), retired Executive Director, Reserve Bank of India as director on the Board of Bank of Baroda with immediate effect and until further orders, *vice* Shri Ajay Kumar.

[F. No. 6/3/2011-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2021

का.आ. 359.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19 के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री चंदन सिन्हा के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री अनिल कुमार शर्मा (जन्म तिथि: 8.3.1963) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में निदेशक नामित करती है।

[फा. सं. 6/3/2011-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 13th April, 2021

S.O. 359.—In exercise of the powers conferred by clause (f) of section 19 of the State Bank of India Act, 1955, the Central Government hereby nominates Shri Anil Kumar Sharma (date of birth: 8.3.1963), Executive Director, Reserve Bank of India as director on the Central Board of State Bank of India with immediate effect and until further orders, *vice* Shri Chandan Sinha.

[F. No. 6/3/2011-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2021

का.आ. 360.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री अजय सेठ (सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक श्री तरूण बजाज के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में निदेशक नामित करती है।

[फा. सं. 6/3/2012-बीओ-I (वालयूम-II)]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 24th April, 2021

S.O. 360.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby nominates Shri Ajay Seth (Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs) as Director on the Central Board of Reserve Bank of India, with immediate effect and until further orders, *vice* Shri Tarun Bajaj.

[F. No. 6/3/2012-BO-I (Vol-II)]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 मई, 2021

का.आ. 361.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 8 की उप धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री टी. रवि शंकर (जन्मतिथि 14.3.1963) को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 1/1/2011-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd May, 2021

S.O. 361.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934, read with sub-section (4) of section 8 thereof, the Central Government hereby appoints Shri T. Rabi Sankar (date of birth: 14.3.1963), Executive Director, Reserve Bank of India as Deputy Governor, Reserve Bank of India for a period of three years from the date of joining the post or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 1/1/2011-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2021

का.आ. 362.—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, सुश्री वन्दिता कौल (अपर सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक सुश्री दक्षिता दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में निदेशक नामित करती है।

[फा. सं. 6/3/2012-बीओ-I (वाल्यूम-II)]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 13th May, 2021

S.O. 362.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby nominates Ms. Vandita Kaul (Additional Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services) as Director on the Board of Directors of Bank of India, with immediate effect and until further orders, *vice* Ms. Dakshita Das.

[F. No. 6/3/2012-BO-I (Vol. II)]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2021

का.आ. 363.—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, डॉ संजय कुमार (निदेशक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक श्री आनंद मधुकर के स्थान पर यूको बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक नामित करती है।

[फा. सं. 6/3/2012-बीओ-I (वालयूम-II)]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 13th May, 2021

S.O. 363.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby nominates Dr. Sanjay Kumar (Director, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services) as Director on the Board of Directors of UCO Bank, with immediate effect and until further orders, *vice* Shri Anand Madhukar.

[F. No. 6/3/2012-BO-I (Vol. II)]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2021

का.आ. 364.—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री हर्षिकेश अरविन्द मोदक (उप सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक सुश्री वंदिता कौल के स्थान पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निदेशक मंडल में निदेशक नामित करती है।

[फा. सं. 6/3/2012-बीओ-I (वालयूम-II)]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 13th May, 2021

S.O. 364.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Hrisheekesh Arvind Modak (Deputy Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services) as Director on the Board of Directors of Bank of Maharashtra, with immediate effect and until further orders, *vice* Ms. Vandita Kaul.

[F. No. 6/3/2012-BO-I (Vol. II)]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 मई, 2021

का.आ. 365.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के उपबंध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, पंजाब नैशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक, श्री बृज मोहन शर्मा (जन्म तिथि 23.6.1963) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से और उनके अधिवर्षिता की आयु (अर्थात् 30-06-2023) प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, केनरा बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/3/2020-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, निदेशक

New Delhi, the 19th May, 2021

S.O. 365.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby appoints Shri Brij Mohan Sharma (date of birth: 23.6.1963), Chief General Manager, Punjab National Bank as Executive Director, Canara Bank with effect from the date of assumption of office and up to the date of his attaining the age of superannuation (*i.e.* 30.6.2023), or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/3/2020-BO-I]

S. R. MEHAR, Director

नई दिल्ली, 9 जून, 2021

का.आ. 366.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उपधारा (4) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा श्री महेश कुमार जैन (जन्म तिथि : 5.5.1961) की मौजूदा कार्यावधि के दिनांक 21.06.2021 को पूरा होने पर, उन्हें दिनांक 22.6.2021 से दो वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक में उप गवर्नर के पद पर पुनः नियुक्त करती है।

[फा. सं. 1/6/2013-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, निदेशक

New Delhi, the 9th June, 2021

S.O. 366.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934, read with sub-section (4) of section 8 thereof, the Central Government, hereby re-appoints Shri Mahesh Kumar Jain (date of birth: 5.5.1961) as Deputy Governor, Reserve Bank of India for a period of two years with effect from 22.6.2021, or until further orders, whichever is earlier, upon completion of his existing term on 21.6.2021.

[F. No. 1/6/2013-BO-I]

S. R. MEHAR, Director